उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

–: आदेश :–

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 को विश्व स्तरीय फैलाव/महामारी के रूप में घोषित किया गया है, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत सहित रामगढ़ जिला पर भी पड़ा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30(XXIV) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रामगढ़ द्वारा निम्न होटल को कोरोना प्रभाव की आपात स्थिति के मद्देनजर कोरोना Quarantine Center के रूप में चिन्हित कर सभी भवन, उपकरण, कर्मियों सहित अधिग्रहित किया जाता है:–

क्र0सं0	होटल का नाम	कमरों की संख्या	अभ्युक्ति
01	होटल पार्वती, कैथा, रामगढ़।	25	

साथ ही आदेश दिया जाता है कि होटल के कमरों, सभागार, शौचालय, परिसर आदि की साफ–सफाई (सेनेटाईज) करते हुए **Stand by mode** में तैयार रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित होटल में Quarantine अवधि में रहने वाले संदिग्ध कोरोना मरीजों हेतु आवासन के लिए 1200रू0 प्रतिदिन (24 घंटा के लिए) तथा भोजन यथा–नास्ता 50रू0, Lunch 200रू0 एवं Dinner 200रू0 की दर निर्धारित की जाती है। भुगतान वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में **Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Directorate General of Health Services (EMR Division)** के **Guidelines** (संलग्न है) तथा सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 163, दिनांक 25.03.2020 के द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (क) एवं (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुसार ''एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है, अथवा निदेश के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में प्रभावितों को 'जान–माल की क्षति होती है तो दोषी सिद्ध होने पर कारावास की अवधि दो वर्ष के लिए किए जाने का प्रावधान के तहत् दण्डित किया जा सकता है।''

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक 593 /रा0, रामगढ़, दिनांक 05 / 04 /2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दोनो चिन्हित होटल के प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करते हुए अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंधक, होटल पार्वती, कैथा, रामगढ़, मो0 नं0–7903498158 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

04/04/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।

D2/Shams/Ltr COVID-19 22